

#### HONDA

Honda India Power Products Limited

Head Office & Works: Plot No. 5, Sector-41, (Kasna)

Greater Noida Industrial Development Area,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) Pin-201310

Tel.: +91-120-2590 100 Fax: +91-120-2590 350

Website: www.hondaindiapower.com CIN: L40103DL2004PLC203950 E-mail: ho.mgt@hspp.com

Ref: 522064/SE/46/2020-21

August 24, 2020

Corporate Relationship department

**BSE** Limited

Registered Office: Floor 25, PJ Towers,

Dalal Street,

Mumbai — 400 001

**Listing Department** 

The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G— Block, Bandra Kurla Complex Bandra (E),

Mumbai — 400 051

Sub: Newspaper advertisement regarding publication of public notice for conducting Annual

General Meeting of the Company through Video Conferencing

Dear Sir/Madam,

In accordance with Regulations 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we enclose copies of the Notice published in 'Financial Express' and 'Jansata' on 23<sup>rd</sup> August, 2020 in connection with conducting Annual General Meeting of the Company through Video Conferencing /Other Audio Video Means, in accordance with MCA Circular 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May 2020.

You are requested to take note of the same and notify your constituents accordingly.

Thanking you.

Yours truly

For Honda India Power Products Limited

Sunita Ganjoo

Company Secretary and Compliance Officer

Greater

**FE SUNDAY** 

#### CENTRE'S UNLOCK 3 GUIDELINES

tricts and states.

# States told not to restrict inter-state commute

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 22

THE CENTRE HAS asked all states to ensure that there should be no restrictions on inter-state and intra-state movement of persons and goods during the ongoing unlocking process.

In a communication to chief secretaries of all states and Union Territories, Union home secretary Ajay Bhalla said there were reports that local level restrictions on movement were being imposed by various dis-

such restrictions were creating problems in inter-state movement of goods and services and were impacting supply chains, resulting in disruption in economic activity and employment. The unlock guidelines clearly state that there shall be no restrictions on inter-state and intra-state movement of persons and goods, he said in

Drawing attention to the

Unlock 3 guidelines, Bhalla said

The guidelines also stated that no separate permission, The home secretary said restrictions amount to violation of guidelines issued by the home ministry under the provisions of Disaster Management Act, 2005

approval or e-permit will be required for movement of persons and goods for cross land border trade under treaties with neighbouring countries.

The home secretary said restrictions amount to violation

of guidelines issued by the Ministry of Home Affairs under the provisions of Disaster Management Act, 2005. The letter requested that no restrictions be imposed and it should be ensured that the unlock guidelines are followed.

PM Modi had first announced lockdown with effect from March 25 to combat the coronavirus pandemic, which was subsequently extended till May 31. Since June 1, the unlock process began with the opening up industrial activities and offices across the country.



The unlock guidelines clearly state that there shall be no restrictions on inter-state and intra-state movement of persons and goods, Union home secretary said

### CAG report on defence offset performance in next Par session: FM

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 22

FINANCE MINISTER NIRMALA Sitharaman on Saturday said the CAG report on defence offset performance would be tabled in the forthcoming session of Parliament. The report of the Comptrol-

ler and Auditor General of India (CAG) on offset performance was scheduled to be tabled in the last session of Parliament but could not be done as the session had to be curtailed following the outbreak of coronavirus pandemic."The C&AG Report No 20 of 2019...Defence Offset Performance was scheduled to be tabled in Parliament during the budget session (2020). The session ended, before date, due to Covid. Now the report will be placed in the next session. The contents will be known only after that," Sitharaman said in a series of tweets. Observing that the first Rafale fighter jet was



2019, the minister said, "There is a year-wise phasing of how much offset obligation the companies/OEMs have to fulfill MoD informs me that claims of such obligations being fulfilled are coming in." Last month, India received

the first set of five Rafale fight ers from France. In the 36 air craft deal, signed for around ₹58,000 crore, Dassault Aviation has agreed to provide all fighters in a fly away condition between 36 to 67 months from the date of signing of the intergovernmental agreement in

# Nod to ₹8,594-cr proposals of stressed NBFCs, HFCs: Finmin

**PRESS TRUST OF INDIA** New Delhi, August 22

THE FINANCE MINISTRY on Saturday said 24 proposals worth ₹8,594 crore of stressed NBFCs and HFCs have been sanctioned under the special liquidity scheme announced as part of the ₹20.97-lakh crore 'Aatmanirbhar Bharat' package.

The scheme, launched on July 1, permits both primary and secondary market purchases of debt and seeks to address the short-term liquidity issues of non-banking financial companies (NBFCs) and housing finance companies (HFCs).

Sharing implementation status update of the ₹30,000 crore Special Liquidity Scheme (SLS), finance minister Nirmala Sitharaman in a tweet said 24 proposals with a total sanctioned amount of ₹8,594 crore had been cleared as on August 21, while 17 more applications seeking financing of up to ₹3,684.5 crore were under process."The amount disbursed stood at ₹3,279 crore as on 21.08.2020. Compared to 07.08.2020, there is an increase

#### SPECIAL LIQUIDITY SCHEME

■ Finance minister Nirmala Sitharaman in a tweet said 17 more applications seeking financing of up to ₹3,684.5 crore were under process

■ SLS, launched on July 1, permits both primary and secondary market purchases of debt and seeks to address the short-term liquidity issues of NBFCs and HFCs

of ₹2,195 crore in the amount sanctioned & an increase of ₹2,279 crore in the amount disbursed," she tweeted. NBFCs and HFCs came under stress following a series of defaults by IL&FS group firms in September 2018.

NBFCs, including microfinance institutions registered under the RBI Act, 1934, (excluding those registered as Core Investment Companies) and any HFC registered with the National Housing Bank under the National Housing Bank Act, 1987, which is complying with certain specified conditions, are eligible to raise funding from this facility.

The Reserve Bank of India (RBI) has provided funds for the scheme by subscribing to government-guaranteed special

securities issued by a trust set up by SBI Capital Markets (SBI-CAP). The scheme is being implemented by SLS Trust, the SPV set up by SBICAP.

The special liquidity scheme is open for three months for making subscriptions by the trust. Under the scheme, the government will provide an unconditional and irrevocable guarantee to the special securities issued by the trust. The instruments will be commercial papers and non-convertible debentures with a residual maturity of not more than three months and rated as investment grade.

So, those market participants who are looking to exit their standard investments with a residual maturity of 90 days may also approach the SLS Trust.

ange of India vide letter/email

# Cap late payment surcharge at 12%, says power ministry

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 22

THE POWER MINISTRY has advised power generation firms and transmission companies to levy the late payment surcharge on discoms at not more than 12% in view of the stress in the sector amid the Covid-19 pandemic.

The rate of late payment surcharge (LPS) in many cases is up to 18% per annum and has adversely impacted discoms during lockdown.

The measure aims at easing the financial burden on discoms (power distribution utilities), and would also benefit consumers, a ministry statement said. "In order to alleviate the

financial stress in the power system, all generating companies and transmission companies have been advised by the Ministry of Power to charge late payment surcharge at a rate not exceeding 12% per annum (simple interest) for all payments made under the Liquidity Infusion Scheme of PFC and REC under Aatmanirbhar



The measure aims at easing the financial burden on discoms (power distribution utilities), and would also benefit consumers, a ministry statement said

Bharat," it said.

In general, the applicable rate of LPS is quite high despite the fact that interest rates in the country have softened over the last few years. The pandemic has adversely affected the liquidity position of all stakeholders of the power sector especially discoms. A number of measures

Name of Borrower/Co-Borrower/

Mortgagor/Guarantor/Loan A/c No

Munir Abbas Pathan, Smt. Sultanbi

Rampal Mohanlal Pande, Lalji

Mohanlal Pandey, Mohanlal

Birkadichand, Smt. Dhapubai

Mohanlal Pande, (A/c No.)

L9001060713783916

Muniir Pathan, (A/c No.)

L9001060700028535

Date : 21/08/2020

Place : Ahmednagar

LSAHM05916-170463774,

have been taken by the government to mitigate the adverse impact, which include rebate on capacity charges, relaxing provisions of Letter of Credit for scheduling of power, Liquidity Infusion Scheme, etc. One of the measures taken

is with regard to LPS, which becomes applicable in case of delayed payments by discoms to generating companies and transmission licensees for power purchase/transmission of electricity for the period up to June 30, 2020, it said.

This will help consumers by maintaining smooth power supply and reduction in charges despite the difficult times, it added.

the said notice within 60 days from the date of receipt of the said notice as per the details given in below table:

13(2) Notice

Date & Amount

17-Jan-20 ₹47,39,170/

Rs. Forty Seven Lac Thirty

Nine Thousand One

Hundred Seventy Only.

16-Jan-20

20-Feb-20 ₹ 7,62,928/-

Rs. Seven Lac Sixty Two

Thousand Nine Hundred

Twenty Eight Only.

15-Feb-20

"The borrower's attention is invited to provisions of subsection (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets."

### Amplus Solar first to sell power on IEX green market Central Electricity Regulatory

AMPLUS SOLAR ON Saturday claimed that it is the first solar power producer to sell renewable electricity in the green term ahead market (GTAM) on the Indian Electricity Exchange (IEX). The trading in the GTAM was launched recently at IEX.

The GTAM on IEX provides avenues to renewable energy (RE) generators for sale of green energy through which buyers can meet their renewable purchase obligations (RPOs).

"Days after the launch of India's first ever Green Term-Ahead Market (GTAM) introduced by IEX, Amplus Solar sold solar electricity in the open market on August 20, 2020, becoming the first solar generator to trade on GTAM under the new

Description of Property Mortgaged

All That Part And Parcel Of Residential/commercial Property Land

Building / Structure And Fixtures Situated At Commercial Plot At Sr No 67 A

Plot No 1033 A, Shop No 4 5 5B 6, Ground Floor And Basement Floor

Tehsil Shrirampur, Dist. Ahmednagar, Maharashtra Admeasuring 88.11

Sq. Mtr. East: Shop No 3, West: Shop No 5, North: Nagar Parishad Road,

All That Part And Parcel Of Residential/commercial Property Land

Building / Structure And Fixtures Situated At Flat C-2, First Floor,

Shrirampur, Shrirampur Nagar Praishad, Dist- Ahmednagar 413709

Maharashtra. Admeasuring 60.41 sq. mtr. Built up + Balcolony Area 3.13

Sq. Mtr. East: Gallary, West: C-1 Flat & Staircase, North: Unit No-c-3, South:

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (Formerly known as Au FINANCIER'S (INDIA) LIMITED)

Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

South: Open Plot And RJ Dussa Milkat

APPENDIX IV [SEE RULE 8(I)] POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited (Formerly known as AU Financiers (India) Limited) under the "Securitization

and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule

3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date as mentioned below calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in

The borrower having failed to repay the amount, therefore notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property

described herein above mentioned table in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said [Act] read with Rule 8 of the said rule on the

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of

Commission (CERC) norm," a company statement said. According to statement the

IEX launched the GTAM on its

power trading platform after receiving approval from the CERC on August 17, 2020. This is a great source for entities that have RPOs"such as DIS-COMs as well as large electricity

customers in the commercial and industrial (C&I) category, the statement said. It helps consumers who are falling short of their renewable targets. Traditionally, there has been no segregation between ther-

mal and renewable power sale in the exchange market, making it difficult for buyers interested only in renewable energy.

Date of

Possession Taken

17-Aug-20

17-Aug-20

Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited

#### NDTV fined ₹5.36L for delay in naming sixth board director

NEWS BROADCASTER NEW Delhi Television (NDTV) on Saturday said the NSE had imposed a penalty of ₹5.36 lakh on the firm for delay in appointing the

sixth director on the board. The BSE has already imposed a penalty of ₹5.36 lakh on the company for the same reason.

"The National Stock Exch-

dated August 21, 2020, has imposed a penalty on the company of₹5,36,900 inclusive of GST for the delay in this matter," NDTV

said in a regulatory filing. It said on March 30 and June 29, it had written to Sebi, explaining its difficulty in finalising a candidate on account of Covid-19.—PTI

HONDA

Honda India Power Products Limited

CIN: L40103DL2004PLC203950 Registered Office: 409, Tower B, DLF Commercial Complex, Jasola, New Delhi - 110025 Website: www.hondaindiapower.com | E-Mail: ho.legal@hspp.com Phone: +91-01141082210

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that

(a) 35<sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM') of Honda India Power Products Limited ('the Company') is scheduled to be held on Monday, 21<sup>th</sup> September, 2020 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact the businesses as mentioned in the notice of AGM.

VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations') and the Circulars, the 35" AGM of the Company is being held through VC/OAVM and the Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM In accordance with the aforesaid circulars, Notice of AGM along with Annual Report 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositaries. Members may note that notice of AGM along with Annual Report

(b) In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions imposed on the movement of people, the Ministry of Corporate Affairs has vide

its circular dated 05" May, 2020 read with circulars dated 08" April, 2020 and 13" April, 2020, ('Circulars') permitted the holding of the AGM through

will be available on Company's website www.hondaindiapower.com, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of

India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings, each as amended, the Company is pleased to provide its Members with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting) and has engaged the services of Central Depositories Services (India) Limited ('CDSL') to facilitate voting though electronic voting system. Detailed procedure of remote e-

voting/e-voting is provided in the notice of AGM In case Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depositary please follow the following instructions to register e-mail address for obtaining Annual Report and login details.

For Members holding shares in physical mode- please provide necessary details like Folio Number, Name of Shareholder via email to

Members holding shares in Demat mode can get their e-mail id registered by contacting their respective Depositary Participant or by e-mail to

Pursuant to Section 91 of the Act, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 15th September, 2020 to Monday, 216 September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Honda India Power Products Limited

Greater Noida 22nd August, 2020

Sunita Ganjoo Company Secretary



**E-Auction of Properties** 25-09-2020 Last date of EMD: 23-09-2020

Asset Recovery Management (ARM) Branch, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

#### E-AUCTION SALE NOTICE

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Canara Bank., will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on 23.09.2020 through E-Auction under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

For detailed terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in M/s Canbank Computer Services Ltd., J P ROYALE, 1st Floor, # 218, 2nd Main, Sampige Road, (Near 14th Cross) Malleswaram, BANGALORE- 560003 - website - www.ccsl.co.in and https://indianbankseauction.com/Contact person Mr Pratap Kanjilal/Mr. D.D. Pakhare - MOB: 9832952602/8898418010 Land Line 080-23469665 email: ccsleauction@gmail.com or ccsl@ccsl.co.in or Canara Bank's website

EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited by way of Demand draft in favour of Authorized Officer, Canara Bank, ARM Branch, Karol Bagh, New Delhi, OR shall be deposited through RTGS/NEFT/Fund Transfer to credit of account of Canara Bank, ARM Branch, Karol Bagh, New Delhi, Current A/c No 2365296000001 IFSC Code: CNRB0002365 on or before 23.09.2020 up to 05.00 p.m

Borrower/Guarantors/ Mortgagor. Name & Address	Details and status of possession of immovable property	Liability	2 60 0
	Dayanand Nagar Ghaziabad 201002 admeasuring 200 sq.yards in the name of Mrs.	Rs. 31,31,15,443.10 (Rupees Thirty One Crore Thirty One Lakh Fifteen Thousand Four Hundred Forty Three and paisa 10 only) [1. M/s Gupta Bros (India) Liability Rs 27,54,99,446.07, 2. Mr. Prabodh Gupta, Liability Rs 2,34,84,258.03 & 3.	200

Residential Property at Site No.412, HUDA.

Sector 37 Faridabad 121003 admeasuring 3. Smt. Anupama Gupta W/o Shri Prabodh 258.33 sq. yards in the name of Shri Prabodh Gupta, R/o H.No. 232. Jorbagh New Delhi

Shri Prabodh Gupta S/o Late Shri P.D.

financialexp.ep

Gupta. (Symbolic Possession) Mrs. Anupama Gupta d. 14.08.2020 Intending bidders may contact Shri S.K. Sharma, Chief Manager and/or SHRI M K PANDEY, Senior Manager, ARM Branch, Canara Bank, ARM Branch Land Line No. 011-28751723, 28754731 Mobile 9868394374/8755128475 during office hours on any working day for other details and

inspection of properties. Date: 20-08-2020, Place: New Delhi Authorised Officer, Canara Bank

a. Reserve Price (Rs) b. EMD (Rs) c. Incremental Bid (Rs)

d. Date of Sale Notice a. 1,39,00,000.00 b. 13,90,000.00 c. 1,00,000.00 d. 14.08.2020 Mrs. Anupama Gupta, Liability Rs 1,41,31,739.00] as on 31.07.2020 plus applicable interest from

a. 2,20,00,000.00 b. 22,00,000.00 01.08.2020 plus other expenses due to the Canara Bank from M/s Gupta Bros., Mr. Prabodh Gupta & c. 1,00,000.00







the AU Small Finance Bank Limited (Formerly known as AU Financiers (India) Limited) for the amount and interest thereon mentioned in the above table.

AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as Au HOUSING FINANCE LIMITED) (CIN:L65922RJ2011PLC034297) Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020

AUCTION NOTICE

Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as "Au HOUSING

Name of Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors/Mortagors	Dues As on	Date & Amount of 13(2)Demand Notice	Date of Poss- ession	Description of Property	Reserve Price For Property	Earnest Money For Property	Date & Time of Auction	Place of Tender Submission, Tender Open & Auction at Aavas Financiers Ltd
Amar Mohan Shinde, Vanita Mohan Shinde Guarantor : Digamber Prakash Kamble A/C No. LNHAD00314-150011673	Rs. 1506961.41/ - Dues as on 22-Aug-2020	4-Jul-19 Rs. 11,54,100.41/- Dues as on 4-Jul-19	18- Mar- 2020	Gat No. 3960/1 Paiki, Flat No. 401, 4th Floor, Wing B, Sundar Sankul, Village- Talegaon Dhamdhere, Tal. Sirur, District - Pune, Maharashtra. Admeasuring 38.64 Sq. Mtrs.	Rs. 1622400/-	Rs. 162240/-	11:00A M To 1:PM on 28-Sep- 2020	Office No.201, Atharva Plaza, 2nd Floor, Pune Satara Road, Dhankawadi, Pune-411043
Chandrakant Tukaram Kudale, Vandana Chandrakant Kudale Guarantor : Sachin Shankar Kudale A/C No. LNPUN00313-140006913	Rs. 1986407.41/ - Dues as on 22-Aug-2020	2-May-19 Rs. 1365140.41/- Dues as on 2-May-19	18- Mar- 2020	Gat No. 3960/1 Paiki, Flat No. 101, 1st Floor, 'Sundar Sankul', Bing-A, Gram & Gram Panchyat-Talegaon Dhamdhere, Taluka-Sirur, Dist. Pune, Maharashtra. Admeasuring 758 Sq. Ft.	Rs, 2653000/-	Rs. 265300/-	11:00A M To 1:PM on 28-Sep- 2020	Office No.201, Atharva Plaza, 2nd Floor, Pune Satara Road, Dhankawadi, Pune-411043
Pravin Laxman Gulgunje, Kusum Laxman Gulgunje A/C No. LNPUN00313-140007914	Rs. 1031429.41/ - Dues as on 22-Aug-2020	2-May-19 Rs. 7,23,067.41/- Dues as on 2-May-19	18- Mar- 2020	Gat No. 3960/1 Paiki, Flat No. 303, 3rd Floor, 'Sunder Sankul', Wing-C, Constructed Building, Gram & Gram Panchyat-Talegaon Dhamdhere, Taluka- Sirur, District-Pune, Maharashtra. Admeasuring 581 Sq. Ft.	Rs. 1743000/-	Rs. 174300/-	11:00A M To 1:PM on 28-Sep- 2020	Office No.201, Atharva Plaza, 2nd Floor, Pune Satara Road, Dhankawadi, Pune-411043
Ruta Prashant Ekande, Prashant Arun Ekande A/C No. LNKOL01214-150013400	Rs. 3523855.91/ - Dues as on 22-Aug-2020	2-Mar-19 Rs. 26,52,362.41/- Dues as on 1-Mar-19	27- Feb- 2020	Gat No-1660/A, Unit No-27, Mouje Rendal Tal- Hatkanangale, Dist- Kolhapur, Maharashtra. Admeasuring- 584 Sq. Feet.	Rs. 2920000/-	Rs. 292000/-	11:00A M To 1:PM on 28-Sep- 2020	Shop No. 109, 1st Floor, REVOLUTION, E- Ward, Station Road, Kolhapur, Maharashtra – 416001
Ruta Prashant Ekande, Prashant Arun Ekande A/C No. LNKOL00614-150013350	Rs. 1902111.91/- Dues as on 22-Aug-2020	2-Mar-19 Rs. 14,61,857.41/- Dues as on 1-Mar-19	27- Feb- 2020	Gat No-1660/A, Unit No-29, Mouje Rendal Tal- Hatkanangale, Dist- Kolhapur, Maharashtra. Admeasuring- 517 Sq. Feet.	Rs. 2583600/-	Rs. 258360/-	11:00A M To 1:PM on 28-Sep- 2020	Shop No. 109, 1st Floor, REVOLUTION, E- Ward, Station Road, Kolhapur, Maharashtra – 416001
Suresh Sukhadev More, Usha Suresh More Guarantor : Appasaheb Shivaji Patil A/C No. LNPUN00317-180060068	Rs. 1465396/ - Dues as on 22-Aug-2020	20-Jul-19 Rs. 11,19,318/- Dues as on 20-Jul-19	20- Mar- 2020	Juna S. No. 109/1, Survey No. 15, Hissa No. 1/3, Flat No. 203, 2nd Floor, Venkatesh Apartment, Mouje Gram Panchyat - Bhilarewadi, Taluka -Haveli, District -Pune, Maharashtra. Admeasuring- 475 Sq Ft.	Rs. 1472500/-	Rs. 147250/-	11:00A M To 1:PM on 28-Sep- 2020	Office No.201, Atharva Plaza, 2nd Floor, Pune Satara Road, Dhankawadi, Pune-411043
Yogesh Shamrao Joshi, Ashwini Yogesh Joshi A/C No. LNPUN00314-150014755	Rs. 4034501.41/ - Dues as on 22-Aug-2020	4-Jun-19 Rs. 30,95,801.41/- Dues as on 3-Jun-19	20- Mar- 2020	Survey No. 5/2/1, 3rd Floor, Flat No. 303, Wing-A, Shri Ganga Galexi, Guav Mouje Ambegaon Bk, Taluka Haveli, Dist. Pune, Maharashtra. Admeasuring 819 Sq. Ft.	Rs. 3931200/-	Rs. 393120/-	11:00A M To 1:PM on 28-Sep- 2020	Office No.201, Atharva Plaza, 2nd Floor, Pune Satara Road, Dhankawadi, Pune-411043

offices during working hours of any working day, super scribing "Tender Offer for name of the property "on the sealed envelope along with the Cheque/DD/pay order of 10% of the Reserve Price as Earnest Money Deposit (EMD) in favour of AAVAS FINANCIERS LIMITED payable at Jaipur on/before time of auction during office hours at the above mentioned offices. The sealed envelopes will be opened in the presence of the available interested parties at above mentioned office of AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as "Au HOUSING FINANCE LIMITED") The Inter-se bidding, if necessary will also take place among the available bidders. The EMD is refundable if the bid is not successful. 2). The successful bidder will deposit 25% of the bidding amount adjusting the EMD amount as initial deposit immediately or within 24hrs after the fall of the hammer towards the purchase of the asset The successful bidder failing to deposit the said 25% towards initial payment, the entire EMD deposited will be forfeited & balance amount of the sale price will have to be deposited within 15 days after the confirmation of the sale by the secured creditor; otherwise his initial payment deposited amount will be forfeited. 3). The Authorised officer has absolute right to accept or reject any bid or adjourn/postpone the sale process without assigning any reason therefore. If the date of tender depositing or the date of tender opening is declared as holiday by Government, then the auction will be held on next working day. 4). For inspection and Interested parties who want to know about the procedure of tender may contact AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as "Au HOUSING FINANCE LIMITED") 201,202, lind Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, jaipur-302020 or Vikramaditya Vashishtha - 9116080166 or respective branch during office hours. Note: This is also a 15/30 days notice under Rule 9(1)/8(6) to the Borrowers/Guarantors/Mortgagor of the above said loan accounts about tender inter se bidding sale on the above mentioned date. The property will be sold, if their out standing duesare not repaid in full. **Authorised Officer Aavas Financiers Limited** Date: 23-08-2020

### नाक के जरिए टीका देने से कोरोना रोकने में मिली कामयाबी

वाशिंगटन, 22 अगस्त (भाषा)।

वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ एक टीका विकसित किया है जिसकी एक खुराक नाक के जरिए दी जा सकती है। यह चूहे में कोरोना विषाणु संक्रमण रोकने में काफी असरदार साबित हुआं है। जर्नल 'सेल' में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 के कई टीकों पर परीक्षण चल रहा है। दसरे टीकों के बरखिलाफ इस टीका को संक्रमण की शुरुआती जगह नाक में डाला जाता है और प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर करने में मदद मिली।

अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक नाक के जरिए टीका की खुराक प्रदान करने से समुचे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने में मदद मिलती है लेकिन यह नाक और श्वसन तंत्र में खासा असरदार साबित हुआ है और रास्ता रोककर संक्रमण को समूचे शरीर में फैलने से रोकता है। इस अध्ययन टीम में अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसीन के अनुसंधानकर्ता भी थे। कुछ और जानवरों तथा इंसानों पर इस टीका का परीक्षण करने की योजना है कि क्या यह कोविड-19 संक्रमण को रोकने में कारगर और सुरक्षित है।

अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसीन के अनुसंधानकर्ता माइकल एस डायमंड ने कहा, 'नाक के ऊपरी हिस्से के सेल में मजबूत रोग प्रतिरोधक तंत्र देख कर हमें काफी ख़ुशी हुई।

# आतंकवाद को बढ़ावा वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर बढ़ाई जानी चाहिए: तिरूमूर्ति

संयुक्त राष्ट्र, 22 अगस्त (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टीएस तिरूमुर्ति ने कहा कि वैश्विक संस्था को आतंक के दोषियों, विशेष रूप से सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर बढ़ाना चाहिए और आतंकवाद प्रायोजित करने वाले किसी भी देश को अपने आप को आतंकवाद का शिकार बताने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए तीसरा अंतरराष्ट्रीय दिवस आयोजित किया था।

तिरूमुर्ति ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि हमें आतंकवाद प्रायोजित करने वाले किसी भी देश को खुद को आतंकवाद पीड़ित दिखाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को आतंक के अपराधियों के खिलाफ और विशेष रूप से सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई बढ़ाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन ने ट्वीट किया कि इस अंतरराष्ट्रीय दिवस पर 'हम आतंकवाद की भेंट चढे लोगों को याद करते हैं और यह भी स्मरण करते हैं कि आतंक के दोषियों को दंड मुक्ति के साथ सीमा पार के देश का संरक्षण मिला हुआ है।'

भारतीय मिशन के ट्वीट के साथ तीन मिनट का एक वीडियो भी डाला गया है कि जिसमें पाकिस्तान

अंतरराष्ट्रीय दिवस पर भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने ट्वीट में कहा • हमें आतंकवाद प्रायोजित करने वाले किसी भी देश को खुद को आतंकवाद पीड़ित दिखाने की इजाजत

• संयुक्त राष्ट्र को आतंक के अपराधियों के खिलाफ और विशेष रूप से सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई बढाने की जरूरत है।

• हम आतंकवाद की भेंट चढ़े लोगों को याद करते हैं और यह भी स्मरण करते हैं कि आतंक के दोषियों को दंड मुक्ति के साथ सीमा पार के देश का संरक्षण मिला हुआ है।

के आतंकवादी संगठनों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों का जिक्र है। इसमें 1993 में हुआ मुंबई धमाके, 2001 में संसद पर हमले, 2002 अक्षरधाम मंदिर पर हमले, 2008 में मुंबई हमला, 2016 में उरी हमला और 2019 में पुलवामा हमला शामिल हैं।

वीडियो 26/11 के मुंबई हमलों के फुटेज के साथ शुरू होता है और इसमें पाकिस्तान के उन संचालकों की आवाजें हैं जो लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादियों को मुंबई में कुछ प्रमुख स्थानों पर हमले के निर्देश दे रहे हैं। कार्यक्रम में आतंकवाद पीड़ितों के एक पैनल से बातचीत भी की गई और यह जाना गया कि आतंकवाद से उनका जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ है।

भारत से इस पैनल में निधि चापेकर ने हिस्सा लिया। वह मार्च 2016 में ब्रसेल्स हवाई अड्डे और सबवे पर हुए आतंकवादी हमले में बच गईं थीं। उस

वक्त निधि जेट एयरवेज के साथ काम करती थीं। चर्चा में एक फोटो दिखाई गई जिसमें वह ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर घायल बैंठी हैं उनके कपड़े अस्त व्यस्त हैं और चेहरे पर खौफ है।

उन्होंने कहा कि मेरा नाम निधि चापेकर है और मैं बेल्जियम के इतिहास में अब तक हुए आतंकवाद के सबसे घातक हमले में जीवित बचे लोगों में से एक हं। चापेकर ने कहा कि विस्फोट में वह बरी तरह घायल हो गई थीं और आज भी वह उसका दंश झेल रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष किया। वह 23 दिनों कोमा में थीं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं, वह उन लोगों के साथ है आतंकवादी हमले में घायल हुए और जिनकी जिंदगी आतंकवादी घटनाओं के बाद पूरी तरह से बदल गई।

# कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग बड़े पैमाने पर फैली



सैन फ्रांसिस्को, २२ अगस्त (एपी)

विवरण इस प्रकार है

की तिथि

बाता सं. HSG/N/HEA/NOI/0316/ 0034

जिसे 7.8.2020 को एनपीए वर्गीकृत किया गया है।

निवासीः सी-4/125, ब्लॉक सी-4, यमुना विहार,

पूर्वी दिल्ली-110053, साथ ही: 1/11181-डी,

प्रथम तल, प्लॉट नं. 24, गली नं. 12, सुभाष पार्क,

उत्तरी कैलिफोर्निया के वनों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और शुक्रवार को यह बड़े क्षेत्र में फैल गई। वन में लगी यह आग राज्य के इतिहास में दावानल की सबसे बडी घटनाओं में शामिल है। इससे बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं।

हैलीकॉप्टरों और हवाई टैंकरों से 12,000 से अधिक अग्निशामक पूरे कैलिफोर्निया में जंगल की आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। यहां 780 वर्ग मील (2,020 वर्ग किलोमीटर) इलाका आग की चपेट में आ गया है। इससे 500 से अधिक संरचनाएं नष्ट हो गई हैं और पांच लोगों की मौत हो गई है।

क्षेत्र के 1,40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। दमकल विभाग के प्रमुख बेन निकोल्स ने कहा कि एलएनयू परिसर में आग बुझाने के काम में लगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर एक हजार से ज्यादा की गई है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम ( सरफैसी ), 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

न्यु हैबिटैट हाउसिंग फाइनांस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड (एनएचएचएफडीएल) से नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-

में। हमने पहले हीं स्पीड पोस्ट द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन

अधिनियम (सरफैसी) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें मांग सूचना का विवरण जारी किया था ज

अन्डेलिवर्ड लौट आया। हमने, यदि आप 60 दिनों के भीतर नीचे वर्णित राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं,

तो सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से एक के स्वामित्व की प्रतिभृतियों का कब्जा करने

की अपनी मंशा दर्शा दी थी। यदि आप यहां नीचे वर्णित देयता का निष्पादन नहीं करते हैं तो एनएचएर

एफडीएल/प्रतिभृत क्रेडीटर सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के माध्यम से प्रदत्त किसी एक अधिकारों का प्रयोग

कर सकता है तथा सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत यथा वांछित रूप में इलेक्टॉनिक या किसी अन्य पद्धत्ति में कब्ज

सचना/नीलामी सचना प्रकाशित करने के अतिरिक्त एनएचएचएफडीएल/प्रतिभत क्रेडीटर आपका फोटोग्राफ १

# रूस के बागी नेता को लेकर जर्मनी पहुंचा विमान

बर्लिन, 22 अगस्त (एपी)।

रूस के विपक्षी दल के नेता अलेक्सेई नवालनी शनिवार की सुबह बर्लिन पहुंच गए जहां उनका इलाज होगा। संदिग्ध रूप से जहर दिए जाने के बाद से वह कोमा में हैं। नवालनी की प्रवक्ता और विमान का

इंतजाम करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की प्रतिनिधि ने पृष्टि की कि विमान बर्लिन पहंच गया है। जर्मन ऑर्गेनाइजेशन सिनेमा फॉर पीस की जाका बिजिल ने 'द एसोसिएटेड प्रेस' को बताया कि नवालनी बर्लिन में हैं।

इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पतिन के घोर आलोचक और भ्रष्टाचार की जांच करने वाले 44 वर्षीय नेता को गुरुवार को साइबेरिया के ओम्सक के एक अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था। साथ ही उनके

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपनी

मंगेतर कैरी सायमंड्स और बेटे के साथ

स्कॉटलैंड में छुट्टियां मनाने गए थे लेकिन वहां के

बारे में सूचनाएं सामने आ जाने के कारण सुरक्षा

जॉनसन ने अगस्त के महीने में गर्मी के

प्रधानमंत्री ने स्कॉटलैंड में एक सुदूरवर्ती

दौरान छुट्टी ली थी। गर्मी के दौरान ब्रिटेन

सरकार के मंत्री कुछ हफ्ते के लिए

कॉटेज में छुट्टियां मनाने का फैसला किया लेकिन

वहां की तस्वीरें सामने आने पर उन्होंने यात्रा में

कटौती की और गुरुवार शाम वापस प्रधानमंत्री

परिवार से जुड़े एक सूत्र ने 'डेली टेलीग्राफ'

अखबार को बताया कि छट्टी के बारे में स्थान का

खुलासा होने के कारण सुरक्षा की चिंताएं पैदा हो

गई और तय कार्यक्रम के मुताबिक सप्ताहांत तक

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और

चिंताओं के बाद उन्हें वापस लौटना पडा।

लंदन, 22 अगस्त (भाषा)।

कामकाज से छुट्टी लेते हैं।

आवास आ गए।

वहां रहना संभव नहीं था।



समर्थकों का मानना है कि जो चाय उन्हें पीने के लिए दी गई थी उसमें जहर मिला हुआ था और उनकी बीमारी तथा जर्मनी के एक बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए भेजे जाने में विलंब के पीछे क्रेमलिन का हाथ है। साथ ही उनके समर्थकों के हंगामे के बाद उन्हें जर्मनी ले जाया गया।

समर्थकों ने विमान का इंतजाम कर उन्हें जर्मनी भेजा, जो उन्नत चिकित्सा उपकरणों

परिवार से जुड़े एक सूत्र ने 'डेली टेलीग्राफ'

अखबार को बताया कि छुट्टी के बारे में स्थान

का खुलासा होने के कारण सुरक्षा की चिंताएं

पैदा हो गई और तय कार्यक्रम के मृताबिक

सप्ताहांत तक वहां रहना संभव नहीं था।

तस्वीरें लेने की इजाजत देते थे लेकिन जॉनसन ने

छुट्टी वाले स्थान का खुलासा नहीं किया था।

लेकिन हाल में छुट्टियों के दौरान की उनकी तस्वीरें

सामने आ गयी। इसके बाद जॉनसन ने वहां से

ठहरे थे उस जमीन के मालिक ने आरोप लगाया कि

जॉनसन बिना अनुमति के बाहर घूमने निकल गए।

तारबंदी वाले क्षेत्र में जाने से पहले लोग

अनुमति लेते हैं लेकिन उन्होंने इस बारे में मुझे

नहीं बताया। प्रधानमंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने केनी

कैमरन से इस मामले पर अफसोस जताया और

कहा कि जॉनसन को लगा था कि वह क्षेत्र

खबरों के मृताबिक जिस जगह पर जॉनसन

किसान केनी कैमरन ने आरोप लगाया कि

लौटने का फैसला किया।

सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बाद

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को छुट्टियों के

बीच लौटना पड़ा

से लैस था और उसमें जर्मनी के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद थे। इसके साथ ही शुक्रवार की सुबह उन्नत उपकरणों से लैस विमान में जब जर्मनी के विशेषज्ञ चिकित्सक पहुंचे तो ओम्स्क में नवालनी के चिकित्सक ने पहले कहा कि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि कहीं ले जाया जा सके।

नवालनी के समर्थकों ने इसे अधिकारियों का षड्यंत्र बताया ताकि उनके शरीर में जहर का पता नहीं लगाया जा सके।

इसके साथ ही ओम्सक के चिकित्सा दल ने उन्हें तभी जाने दिया जब एक विमान का इंतजाम करने वाले चैरिटी संगठन ने कहा कि जर्मनी के चिकित्सकों ने जांच की है और वह ले जाए जाने की स्थिति में हैं। इसके बाद ओम्सक अस्पताल के उप मख्य चिकित्सक ने संवाददाताओं से कहा कि नवालनी की हालत स्थिर है और नेता को ले जाया जा सकता है।

## डाक मतदान सेवा को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के

वाशिंगटन, २२ अगस्त (भाषा)।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्यों में डाक मतदान सेवा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है जहां सरकार की कुछ प्रिय एजंसियों में शामिल डाक सेवा के अधिकारियों ने खर्च में कटौती के उपाय लागू किए हैं। हर बार की तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के लिए इस

पोस्टमास्टर जनरल लुईस डिजॉय का कहना

# सदस्य दुविधा में

स्थिति को और पेचीदा बना दिया है।

है कि वह सालाना होने वाले अरबों रुपए के खर्च में कटौती के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने लगभग हर रोज डाक सेवा की निंदा की है और वह इसे बेकार मानते हैं। राष्ट्रपति ने कोरोना महामारी के चलते इस बार डाक मतदान के बड़े स्तर की अपेक्षा के बीच डाक सेवा के प्रबंधन में मदद के लिए अतिरिक्त धन दिए जाने का विरोध किया है। डाक से मतदान में धोखाधड़ी होने की ट्रंप की आशंकाओं के बीच डेमोक्रेट और अन्य आलोचकों ने कहा कि राष्ट्रपति डाक सेवा को डाक मतपत्र देने से रोककर इस बार के राष्ट्रपति चुनावों को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं। डिजॉय ने शक्रवार को सीनेट की एक समिति से कहा था कि डाक सेवा चनाव मतपत्र समय पर और सुरक्षित पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

### टेरेसा मे गर्मी की छुट्टिटयों के दौरान प्रेस को श्रीसैलम पनबिजली संयंत्र में आग लगने की जांच करेगी सीआइडी

हैदराबाद, 22 अगस्त (भाषा)।

तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में श्रीसैलम पनबिजली संयंत्र में 20 अगस्त को आग लगने की घटना की जांच शनिवार को अपराध जांच शाखा (सीआइडी) ने अपने हाथों में ले ली। घटना में नौ लोगों की मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हो गए थे। मृतकों में अधिकतर इंजीनियर थे।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआइडी, गोविंद सिंह को जांच अधिकारी नियक्त किया गया है। उन्होंने अधिकारियों के एक दल के साथ शनिवार को दुर्घटनास्थल का मुआयना किया। सिंह ने कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जिसे सीआइडी को सौंप दिया गया है। भूमिगत संयंत्र के इलेक्ट्रिक पैनलों में आग लगने के बाद घने धुएं के कारण 12 घंटे तक बचाव अभियान बाधित था। शुक्रवार दोपहर तक नौ शव निकाले गए थे।

अधिकारियों ने कहा था कि संयंत्र के भीतर फंसे लोग आग बुझाने के प्रयास में काल के गाल में समा गए। इस हादसे में मारे गए दो इंजीनियर सुंदर नायक व पवन कुमार हाल में कोविड-19 से उबर कर आए थे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को घटना की जांच सीआइडी से कराने का आदेश दिया था।

### वेब सीरीज विवाद: एकता कपूर ाखलाफ कारवाइ पर राक

उच्च न्यायालय के इंदौर पीठ के

न्यायमूर्तिं शैलेंद्र शुक्ल ने कपूर

की याचिका पर गुरुवार को संभी

संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी।

एकल पीठ ने इसके बाद शहर

की अन्नपूर्णा पुलिस को आदेश

दिया है कि वह ऑल्ट बालाजी

की 45 वर्षीय संस्थापक के

खिलाफ मुकदमे की अगली

तारीख तक कोई भी बलपूर्वक

कार्रवाई न करे।

इंदौर, 22 अगस्त (भाषा)।

कॉटेज का ही हिस्सा था।

ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित

वेब सीरीज ट्रिपल एक्स के सीजन-2 को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मामले में निर्माता एकता कपूर को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। कपूर इस मामले में वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए अश्लीलता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान के आरोपों में घिरीं हैं।

उच्च न्यायालय के इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ल ने कपूर की याचिका पर गुरुवार को सभी संबंधित पक्षों की दलीलें

सुनीं। एकल पीठ ने इसके बाद शहर की अन्नपूर्णा पुलिस को आदेश दिया है कि वह ऑल्ट बालाजी की 45 वर्षीय संस्थापक के खिलाफ मुकदमे की अगली तारीख तक कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करे। अदालत ने कपूर की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की है।

एकल पीठ ने अन्नपूर्णा पुलिस और कपूर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले

शिकायतकर्ता के वकीलों को संबंधित वेब सीरीज की विवादित विषयवस्तु को दो प्रतियों में कॉम्पेक्ट डिस्क में पेश करने का

> आदेश भी दिया है। इनमें से प्रति अदालत के एक अवलोकन के लिए और दूसरी प्रति याचिकाकर्ता यानी कपूर के लिए मांगी गई है।

> कपूर के वकील आनंद सोनी ने शनिवार को बताया कि उनकी मुवक्किल ने अपने खिलाफ अन्नपूर्णा पुलिस की पांच जुन को दर्ज प्राथमिकी में लगाएँ गए आरोपों को गलत बताते हुए उच्च न्यायालय से गुहार की है कि इस मामले को रद्द किया जाए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह प्राथमिकी दो स्थानीय बाशिंदों-वाल्मीक सकरगाये और नीरज याग्निक की शिकायत पर भारतीय दंड विधान की धारा 294 (अश्लीलता) और 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहंचाना) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारत के राजकीय प्रतीक (अनचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी।

### प्रेस समूहों ने मेक्सिको की पत्रिका पर सरकारी जुर्माने पर उठाए सवाल

मेक्सिको सिटी, 22 अगस्त (एपी)।

मेक्सिको के कुछ प्रेस और मानवाधिकार संगठनों ने उस पत्रिका के खिलाफ सरकार के जुर्माने पर सवाल उठाए है जो लंबे वक्त से राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर की कटु आलोचक रही है।

प्रेस समूह आर्टिकल 19 और दो मानवाधिकार संगठनों ने एक बयान में कहा कि पत्रिका 'नेक्सओस' पर लगाया गया जुर्माना 'असंगत और अत्यधिक' है। इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार ने पत्रिका पर जुर्माना लगाने की घोषणा की थी और साथ ही संघीय एजंसियों को दो वर्ष के लिए पत्रिका को विज्ञापन देने पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए थे। लोपेज ओब्रोडोर ने दिसंबर 2018 में सत्ता संभाली थी। संघीय नियंत्रक के कार्यालय का तर्क है कि ई पत्रिका ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रचार विज्ञापन के लिए भुगतान पाने की कोशिश करते हुए झूठे दस्तावेज पेश किए।

> विनियमन देखें - 33(2) पंजिकृत ए/डी असफल दस्ती प्रकाशन द्वारा

#### कायलिय, ऋण वसूली अधिकारी—ा ऋण वसली अधिकरण, देहरादून पारस टॉवर, द्वितीय तल, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

मांग सूचना (आयकर अधिनियम 1961 में दूसरे अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस डेब्ट्स एवं

दिवालियापन अधिनियम १९९३ की धारा २५ से २८ में पढें)। आरसी / 196 / 2020

वनाम मैसर्स आर्यन एजेन्सीज्

सीडी नं. 1. मैसर्स आर्यन एजेन्सीज

61/3, लक्ष्मण विहार, बैंकवेट हॉल के सामने, निकट अल्वासपुर मस्जिद, जानसठ रोड, जिला मुजफ्फरनगर , उत्तर प्रदेश-251001

सीडी नं. 2. आर्यन गर्ग पुत्र श्री मुकेश कुमार गर्ग

गुलशन विहार, जनसंच रोड, जिला भुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001 सीडी नं. 3. श्रीमती रेखा गर्ग पत्नी श्री दिनेश कुमार गर्ग

नेहरू मार्कट, डाकपत्थर, परगना पछवादन, तहसील विकास नगर, जिला देहरादन

श्रीमती रेखा गर्ग पत्नी श्री दिनेश कुमार गर्ग

गुलशन विहार, जनसंथ रोड, जिला मृजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001 अन्य पता : नेहरू मार्कट, डाकपत्थर, परगना पछवादून, तहसील विकास नगर, जिला

देहराद्न, उत्तराखण्ड। सीडी नं. ४. मुकेश कुमार गर्ग पुत्र श्री कलीराम गर्ग

गुलशन विहार, जनसंच रोड, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001 अन्य पता : नेहरू मार्कट, डाकपत्थर, परगना पछवादन, तहसील विकास नगर, जिला

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण देहरादून द्वारा

आदेशों के पालन करते हुए जारी किए गए रिकवरी प्रमाण पत्र के अनुसार ओए /398/2019 में धनराशि रू० 22882572.79 (रूपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख बवासी हजार पांच सौ बहत्तर एवं पैसे उनासी मात्र) वादकालीन एवं भविष्य का ब्याज 11-80% चक्रवृद्धि ब्याज मासिक दर दिनांक 31.10.2019 से लागू जब तक ऋण पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता एवं लागत रू० २४०३४२ (रूपये दो लाख चालीस हजार तीन सौ बयालीस मात्र) जो बकाया आपके विरुद्ध है (संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग)

2. आपको एतदद्वारा सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने के लिए कहा जाता है जिसमें विफल होने पर ऋण की वसूली बैंक व वित्तीय बीमा कंपनी अधिनियम 1993 के नियमानुसार की जायेगी ।

3. आपको अगली सुनवाई पर या उससे पहले अपनी सम्पत्ति के विवरण को एक हलफनामे पर घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आगे की कार्यवाही के लिए 03.10.2020 प्रातः 10.30 बजे अधिकृत अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया जाता है।

 उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त आप भगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे (अ). निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के त्रंत बाद शुरू होने वाली अवधि के

(ब). इस नोटिस एवं वारन्ट व अन्य सेवा के संबंध में किए गये सभी खर्च, शृल्क और

व्यय एवं अन्य प्रक्रिया जो कि देय राशि वस्तुलने के लिए की जा सकती है। मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन 04.08.2020 को जारी।

वसूली अधिकारी

से मूल सूचना प्राप्त करें, तथा 2) सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई से बचने के लिये उपरोक्त सुचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज तथा लागत आदि के साथ शेष बकाये राशि का भुगतान करें।

ईलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 की आबादी

अथवा ७९.४३ वर्ग मी.. खसरा नं. ३में. सम्पत्ति सं

न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनांस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

उपरोक्त ऋणधारकों/सह ऋणधारकों को सलाह दी जाती है कि अधिक तथा सम्पर्ण विवरणों के लिये अधोहस्ताक्षर

Central Bank of India

#### 1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 शाखा कार्यालयः गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) परिशिष्ट-IV (नियम ८ (१) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54 ) के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 12.03.2020 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारों: श्रीमती सिगी चारिवुपरम्पिल मैथ्यू एवं** श्री सुनील थॉमस (लोन खाता सं.3938779012), को सूचना में उल्लिखित राशि रु.20,74,531 / — (बीस लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ इकत्तीस रूपये मात्र) 12.03.2020 को देय (इस सूचना की तारीख) और उस पर आगे ब्याज, खर्च एवं अन्य शुल्क आदि के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 19 अगस्त 2020 को ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन 12.03.2020 को रु.20.74.531 /-(बीस लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ इकत्तीस रूपये मात्र) और उस पर आगे ब्याज, खर्च एवं अन्य शल्क आदि के साथ **सेंटल बैंक ऑफ इंडिया**, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा। ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

यहाँ स्थित सम्पत्ति का साम्यिक बंधकः

आरजेड — 20/26, अपर भूतल, (पीछे की तरफ) तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019.

स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी सेंटल बैंक ऑफ इंडिया

HONDA

#### होण्डा इण्डिया पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (पूर्व होण्डा सिएल पॉवर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड) सीआईएन : L40103DL2004PLC203950

पंजीकृत कार्यालय : 409, टॉवर बी, डीएलएफ कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, जसोला, नई दिल्ली-110025 वेबसाइट : www.hondaindiapower.com । ई-मेल : ho.legal@hspp.com । दूरभाष : +91-01141082210

वार्षिक आम बैठक और बुक क्लोजर की सूचना

स्चना यहाँ दी गई है कि:

(a) होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ('कंपनी') की 35 वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 21 सितंबर, 2020 को सुबह 11:00 बजे भा.मा.स. होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') की सुविधा के माध्यम से व्यवसायों का चालन एजीएम की सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(b) COVID-19 महामारी के प्रकोप और लोगों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 05 मई, 2020 के परिपत्र साथ में 08 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों को पढें ('परिपत्रों') ने एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम को रखने की अनुमति दी है । कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में, सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण संशोधन) विनियम, 2015 ('लिस्टिंग विनियम) और परिपत्र, कंपनी के 35 वीं एजीएम को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है और सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में उपस्थिति और भाग ले सकते हैं।

) उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, एजीएम का नोटिस वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते कंपनी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.hondaindiapower.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमश: पर उपलब्ध होगी।

मानक, प्रत्येक के रूप में संशोधित, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करते हुए एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर वोट डालने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को सुविधाजनक बनाने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। एजीएम की सूचना में दूरस्थ ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान किया गया है।

1) अधिनियम की धारा 108 के अनुसार और साथ पढ़ें नियम 20 कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014, विनियमन 44 लिस्टिंग विनियम और सामान्य बैठकों पर सचिवीय

यदि सदस्य / व्यक्ति ने कंपनी / निक्षेपागार के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, तो कृपया वार्षिक रिपोर्ट और लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए ई-मेल पता दर्ज करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए - कृपया फॉलिओ नंबर, शेयरहोल्डर का नाम जैसे ईमेल के माध्यम से info@masserv.com पर आवश्यक विवरण प्रदान करें।

डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करके या info@masserv.com पर ई-मेल द्वारा ई-मेल आईडी पंजीकृत कर

बक्स के रजिस्टर एजीएम के उद्देश्य के लिए मंगलवार, 15 सितंबर, 2020 से सोमवार, 21 सितंबर, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की ओर से सुनीता गंजू

ग्रेटर नोएडा 22 अगस्त, 2020

www.readwhere.com

(e) अधिनियम की धारा 91 के अधीन, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का नियम 10 और लिस्टिंग विनियमों का विनियमन 42, कंपनी के सदस्यों और शेयर ट्रांसफर

कंपनी सचिव